

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/ /2018/


दिनांक:-

सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज,
सम्बन्धित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय
सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- एसीपी के आक्षेपों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा निम्नांकित नर्स-2 एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्रकरण प्राप्त हुये है में उनके नाम के सम्मुख अंकित कमियों पायी गई है कि पूर्ति कर भिजवाये जिससे कि स्वीकृति की कार्यवाही सम्पादित की जा सकें।


क्र0 स0	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1	नीता रस्तोगी नर्स-2	जनाना अस्पताल	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है एवं जन्म दिनांक का दस्तावेज ।
2	कृष्णा कुमारी सैन	जनाना जयपुर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है एवं विभागीय जाँच बकाया है या नहीं का प्रमाण पत्र
3	कलावती चांवरिया	पीबीएम बीकानेर	प्रस्ताव प्राप्त प्राप्त नहीं ।
4	चरणजीत कौर नर्स -2	सीएमएचओ गंगानगर	मूल प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।
5	जीजा रोट एलएचवी	सीएमएचओ डूंगरपुर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है एवं विभागीय जाँच बकाया है या नहीं का प्रमाण पत्र
6	रुकमणी कटारा, नर्स -2	सीएमएचओ डूंगरपुर	कार्मिका की विगत सात वर्ष के एसीआर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है एवं विभागीय जाँच बकाया है या नहीं का प्रमाण पत्र
7	रतना शर्मा नर्स -2	पीएमओ अलवर	प्रस्ताव प्राप्त प्राप्त नहीं ।
8	राज औलख नर्स-2	हनुमानगढ़	कार्मिक की प्रथमनियुक्ति प्रसाविका के पद थी के अनुरूप 27 वर्ष के प्रस्ताव नहीं
9	बलजीत कौर, नर्स-2	हनुमानगढ़	कार्मिक की प्रथमनियुक्ति प्रसाविका के पद थी के अनुरूप 27 वर्ष के प्रस्ताव नहीं
10	हरजीत कौर, नर्स-2	हनुमानगढ़	कार्मिक की प्रथमनियुक्ति प्रसाविका के पद थी के अनुरूप 27 वर्ष के प्रस्ताव नहीं


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर
 दिनांक:- 5/11/2018

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/C-3-II/2018/ 1544

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर